पत्र संख्या-आई0टी0अनुभाग-ई रिटर्न (वार्षिक विवरण) /2015-16/ 923 /1516060 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक :: जनवरी 19 ,2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

विषय **वार्षिक विवरणी (रुप पत्र 52, 52ए तथा 52बी में वित्तीय वर्ष के त्रुटिपूर्ण अंकन के निराकरण करने के सम्बन्ध में।**

विभाग में वार्षिक विवरणी दाखिल करने के सम्बन्ध में जारी परिपत्र सं0-आई0टी0-ई रिटर्न (2014-2015) / 567 / 1415074 दिनांक 30-09-2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से वार्षिक विवरण (रुप पत्र 52, 52ए एवं 52बी) आन लाइन दाखिल करने से सम्बन्धित प्रक्रिया विस्तृत रुप से उल्लिखित की गयी थी । कतिपय व्यापारियों / अधिवक्ता संघों द्वारा इस आशय के ई मेल/ पत्र प्रेषित किये गये हैं कि वार्षिक विवरण आन लाइन दाखिल करते समय व्यापारियों द्वारा कर निर्धारण वर्ष का चयन गलत हो गया है जिसके कारण उनको मासिक / त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने में समस्या आ रही है।

इस समस्या के निराकरण हेतु यह व्यवस्था निर्धारित की जाती है कि कर निर्धारण वर्ष के गलत चयन की स्थिति में व्यापारी द्वारा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को कर निर्धारण वर्ष के परिवर्तन के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के अनुमोदन के पश्चात स्पष्ट संस्तुति LOCAL ADMINISTRATOR को प्रेषित की जायेगी । ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट) स्तर के व्यापारियों के सम्बन्ध में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट) द्वारा सीधे संस्तुति LOCAL ADMINISTRATOR को प्रेषित की जायेगी । LOCAL ADMINISTRATOR द्वारा आन लाइन सम्बन्धित व्यापारी के वित्तीय वर्ष के त्रुटिपूर्ण अंकन का निराकरण किया जायेगा।

उक्त समस्त प्रक्रिया व्यापारी के आवेदन के एक कार्यदिवस के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी।

अत: उक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

19/01/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।